न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
60 / 2016 / वाद पत्र	04.03.2016	06.06.2017

उनवान

बालु उर्फ बाबू पिता उदा लुहारिया निवासी हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा
– वादी

बनाम

1– रामलाल पिता देबी लुहारिया निवासी फूलियाकलां
2– मु0 सायरी पिता देबी पतिन फूलचन्द लुहारिया नि0 सिंदरी के बालाजी के पास, भीलवाड़ा
3– खाना पिता उदा लुहारिया विासी पनोतिया
4– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम उम्मेदपुरा प0ह0 ड़ोहरिया मे उदा पिता नीना लुहारिया के खातेदारी अधिकार की आराजीयात स्थित थी। उसकी मृत्यु से उत्तराधिकारी देबी, खाना व बालू उर्फ बाबू पुत्रान के नाम दर्ज की गई। उदा के बड़े पुत्र देबी की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र व पुत्री प्रतिवादी 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है। उदा के दूसरे पुत्र को प्रतिवादी नं0 3 बनाया गया है प्रतिवादी नं0 4 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट हो जाने से नये नम्बर 313 रकबा 0.51 है0 बने है। वर्तमान मे आराजी देबी प्रतिवादी संख्या 3 व वादी के खाते मे दर्ज है किन्तु कब्जा वादी अकेले का है। प्रतिवादी 1 व 2 के पिता देबी ने अपने जीवनकाल मे ग्राम उम्मेदपुरा मे उपरोक्त आराजी के अलावा 4 बीघा आराजीयात व मकान पिताजी के द्वारा बनाया हुआ था जिसको देबी ने बेचकर अकेले ने पैसा प्राप्त किया। इसी ग्राम मे रहवासी मकान व 4 बीघा भूमि उदा के नाम थी। जिसको खाना को दे दिया था। जिसको बेचकर खाना ने ही रूपये प्राप्त किये थे। उदा ने अपने जीवनकाल मे वाद के पैरा 2 मे वर्णित आराजी मुझ वादी को दे दी इस कारण पिछले 38–39 साल से वादी का कब्जा बहैसियत मालिक के चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पिता देबी व प्रतिवादी नं0 3 का नाम वादी हटाने का अधिकारी है। अतः वाद के पेरा 2 मे वर्णित आ0न0 313 रकबा 0.51 है0 से प्रतिवादी 1 व 2 के पिता देबी व प्रतिवादी 3 खाना का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित

प्रकरण पजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.05.2006 को प्रतिवादीगण 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नं0 3 व 4 स्वयं उपस्थित। दिनांक 24.08.2006 को प्रतिवादी नं0 3 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 12.02.2009 को प्रतिवादी नं0 4 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 04.06.2010 को प्रतिवादी नं0 2 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 13.07.2012 को वादी स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017 अटल सेवा केन्द्र ड़ोहरिया पर रखा गया। बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उदा पिता नीना लुहारिया के नाम साबिक रेकार्ड मे भूमि दर्ज रही हो उसका कोई रेकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है न ही मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया गया है। एवं वाद के बिन्दु संख्या 3 व 4 मे वादी द्वारा बताया कि देबी व खाना द्वारा 4–4 बीघा भूमि व मकान का बेचान कर राशि अकेले ने प्राप्त कर ली है। जिससे वादी ही इस भूमि पर 38–39 सालों से कब्जा होकर मालिकाना हक रखता है किन्तु देबी व खाना के द्वारा बेचे गये मकान व जमीन का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे देबी व खाना का नाम रेकार्ड से हटाया जाना उनके हकों पर कुठाराघात होता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को केम्प ड़ोहरिया पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

बईजलास **श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0**

बालु उर्फ बाबू पिता उदा लुहारिया निवासी हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1– रामलाल पिता देबी लुहारिया निवासी फूलियाकलां

2– मु0 सायरी पिता देबी पतिन फूलचन्द लुहारिया नि0 सिंदरी के बालाजी के पास, भीलवाड़ा

3– खाना पिता उदा लुहारिया विासी पनोतिया

4– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–188 आर0टी0ए0**

मुकदमा नम्बर **60/2016 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......**X**........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के सिद्व नही होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 06 माह 06 सन् 2017** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं, जिला-भीलवाड़ा